देश में बाल–श्रम का वैधानिक प्रावधानः एक प्रबंधकीय विश्लेषण

–ओजस्कर पाण्डेय एवं डॉ. विजय कुमार
शोधार्थी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर
महर्षि यूनिवर्सिटी आफ इंफार्मेशन टेक्नोलाजी, लखनऊ

शोध सारांशः

बढ़ती जनसंख्या और गरीबी भारत की दो सामाजिक संरचनाएं हैं जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने और अपनी जिंदगी कमाने के लिए मजबूर करती हैं। बालश्रम वास्तविकता है जिसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं। बाल श्रम का खतरा इतना प्रचलित हो गया है कि हम अधिकतर बेहतर जीवन जीने में उनकी मदद करने के बजाय काम की बजाय उनकी स्थिति को अनदेखा करना चुनते हैं। बाल श्रम से तात्पर्य बच्चों को किसी भी ऐसे कार्य में लगाना है जो उन्हें उनके बचपन से वंचित करता है। नियमित स्कूल जाने की उनकी क्षमता में हस्तक्षेप करता है, और यह मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिकरूप से खतरनाक और हानिकारक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, 5–14 वर्ष के आयु वर्ग के 10.1 मिलियन बच्चें कार्यरत है, जिनमें से 8.1 मिलियन ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से कृषक (23%) और खेतिहर मजदूरों (32.9%) के रूप में कार्यरत हैं। भारत में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (National Sample Survey) की परिभाषा के अनुसार, कोई भी 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा जो मजदूरी करता है, बाल श्रमिक की श्रेणी में आता है, वहीं 2001 की जनगणना के आँकड़ों के बाल श्रमिकों को दिहाड़ी श्रमिक बल के रूप में सम्मिलित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर बाल अधिकार (यूएनसीआरसी) और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईओएल) एक बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। यूएनसीआरसी का अनुच्छेद 32 किसी बच्चे के संरक्षित होने का अधिकार पहचानता है आर्थिक शोषण से और किसी भी काम को करने से हानिकारक होने या बच्चे की शिक्षा में हस्तक्षेप करने या बच्चे के स्वास्थ्य या शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक या सामाजिक विकास के लिए हानिकारक होने की संभावना है। भारत में, बाल श्रम विनियमन) अधिनियम 1986 में 14 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में एक बच्चे को परिभाषित किया गया है। यह भी बताता है कि बच्चे कहां और कैसे काम कर सकते हैं और बाल श्रम पर प्रतिबंध है।

शब्द कुंजी–बालमजदूरी, आर्थिक विषमता, सामाजिक विकास, सामाजिक संरचनाएं, बाल अधिकार

प्रस्तावनाः बाल मजदूरी तथा शोषण की निरंतर मौजूदगी से देश की अर्थव्यवस्था को खतरा होता है और इससे बच्चों पर गंभीर अल्पकालीन और दीर्घकालीन दुष्परिणाम होते हैं जैसे शिक्षा से वंचित हो जाना और उनका शारीरिक व मानसिक विकास ना होने देना। बाल तस्करी भी बाल मजदूरी से ही जुड़ी है जिसमें हमेशा ही बच्चों का शोषण होता है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, भारत में बाल मजदूरों की संख्या 1.01 करोड़ है जिसमें 56 लाख लड़के और 45 लाख लड़कियां हैं। दुनिया भर में कुल मिलाकर 15.20 करोड़ बच्चे 6.4 करोड़ लड़कियां और 8.8 करोड़ लड़के बाल मजदूर होने का अनुमान लगाया गया है अर्थात दुनिया भर में प्रत्येक 10 बच्चों में से एक बच्चा बाल मजदूर है। पिछले कुछ सालों से बाल श्रमिकों की दर में कमी आई है। इसके बावजूद बच्चों को कुछ कठिन कार्यों में अभी भी लगाया जा रहा है, जैसे बंधुआ मजदूरी, बाल सैनिक (चाइल्ड सोल्जर) और देह व्यापार। भारत में विभिन्न उद्योगों में बाल मजदूरों को काम करते हुए देखा जा सकता है, जैसे ईंट भट्टों पर काम करना, गलीचा बुनना, कपड़े तैयार करना, घरेलू कामकाज, खानपान सेवाएं (जैसे चाय

की दुकान पर) खेतीबाड़ी, मछली पालन और खानों में काम करना आदि। इसके अलावा बच्चों का और भी कई तरह के शोषण का शिकार होने का खतरा बना रहता है जिसमें यौन उत्पीड़न तथा ऑनलाइन एवं अन्य चाइल्ड पोर्नोग्राफी शामिल है। भारत ने इस वर्ष जून में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाल श्रम पर दो सम्मेलनों को मंजूरी दे दी है, भारत को बाल मजदूरी से मुक्त करने के लिए दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाया गया है। ये दो सम्मेलन रोजगार के लिए न्यूनतम आयु और बाल मजदूर का सबसे खराब रूप से संबंधित हैं। हालांकि सरकार 2016 में बाल मजदूर (निषेध और रोकथाम) अधिनियम में किए गए संशोधन में है, लेकिन परिवर्तनों के वास्तविक प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है। 2016 में बाल श्रम कानूनों में दो प्रमुख संशोधन किए गए थे। यह 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत अनिवार्य शिक्षा के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए है। दूसरे महत्वपूर्ण संशोधन में कहा गया है कि 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को खतरनाक के रूप में निर्धारित किसी भी प्रकार के काम में रोजगार से सख्ती से प्रतिबंधित किया जाएगा। लेकिन कानूनी भाषा के स्पेक्ट्रम में खोए गए छिपे तथ्यों से पता चलता है कि कार्यक्रम में खतरनाक काम का शेड्यूल 83 गतिविधियों से नीचे केवल तीन में लाया गया है जिसमें खनन, विस्फोटक और 1948 के कारखानों अधिनियम के तहत खतरनाक समझा जाता है। इस प्रकार संशोधन ने बच्चों को खतरनाक गतिविधियों के लिए वयस्कों के समान माना है और उनकी कमजोर उम्र के लिए किसी भी विशेष विचार को हटा दिया है। संशोधन स्कूल के घंटों के बाद और छुट्टियों के दौरान गैर–खतरनाक पारिवारिक उद्यमों में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भी अनुमति देता है। इस अधिनियम के अनुसार परिवार में ना केवल बच्चे के माता–पिता और भाई–बहन बल्कि अन्य विस्तारित परिवार भी शामिल हैं। चूंकि पारिवारिक उद्यम में कोई काम, पेशे या व्यवसाय शामिल हो सकता है, इस संदर्भ में श्रम से बच्चे की सुरक्षा पूरी तरह से पराजित हो जाती है। इसने अनुमान लगाया है कि बाल श्रम कानूनी रूप से बना है क्योंकि अनुमान बताते हैं कि 80% बाल श्रम खेतों, जंगलों, घर–आधारित उद्यमों जैसे बीडी रोलिंग, कालीन बुनाई और चूड़ियों और हस्तशिल्प आदि में परिवार के भीतर होता है। हालांकि, संशोधन ने कानूनी उम्र के नीचे एक बच्चे को 3–12 महीने से 6 महीने तक की कारावास बढ़ाकर 2 साल और जुर्माना की राशि बढ़ाकर काम करने के लिए नियोक्ता के लिए सजा दी है। भारत में बाल मजदूरी के मुद्दे की परिमाण बहुत बड़ी और जटिल है और सख्त कार्यान्वयन उपायों के साथ–साथ इस समस्या के क्रूक्स में मौजूद संपत्ति के स्तर को कम करने के लिए सामाजिक सुरक्षा भी आवश्यक है। सरकार ने संशोधन के साथ हासिल करने की कोशिश की है कि भारत में बच्चों और उनके सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की वास्तविकता में शिक्षा के स्तर में सुधार के बीच संतुलन लाया जाए। जैसे संवैधानिक प्रावधान का अनुच्छेद 24 जो खतरनाक गतिविधियों में रोजगार के खिलाफ 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सुरक्षा निर्दिष्ट करते हैंय अनुच्छेद 23 जो तस्करी और मजबूर श्रम पर रोक लगाता हैय अनुच्छेद 21 ए 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार प्रदान करनाय अनुच्छेद 39 जो राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करता है कि बच्चों को दुर्व्यवहार के खिलाफ संरक्षित किया गया है और उन्हें ऐसे व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए मजबूर नहीं किया गया है जो उनकी उम्र और ताकत के लिए उपयुक्त नहीं हैय और अनुच्छेद 15 सरकार को कानूनों और नीतियों को बनाने की शक्ति प्रदान करता है जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और उनकी कल्याण सुनिश्चित करते हैंय हालांकि मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के दायरे में पड़ने के बावजूद भारत में बच्चों की स्थिति पर वांछित प्रभाव डालने में असमर्थ हैं। बाल श्रम बच्चों के मानसिक, बौद्धिक एवं सामाजिक हितों को प्रभावित करता है। बाल श्रम को रोकने के लिए अनेक भारतीय दंड विधान भी बनाये गये हैं। संविधान के अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से

कारखानों में काम नहीं कराया जायेगा, विशेषकर ऐसा काम तो बिल्कुल नहीं जो बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, किन्तु आज इसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। बाल श्रम (निवेष एवं विनियम) अधिनियम 1986 खतरनाक व्यवसायों में कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबन्ध लगाता है। गरीबी, बेरोजगारी, पारिवारिक सामंजस्य का अभाव, पंरपरागत व्यवसाय, बढ़ता औद्योगिकीकरण तथा व्यावसायिक शिक्षा का अभाव बाल मजदूरी के प्रमुख कारण हैं। बाल श्रम को रोकने के लिए भी सरकारी प्रयासों के साथ–साथ सामाजिक संगठनों के समन्वित साथ की जरूरत है। बाल शिक्षा के अभाव में देश के उज्जवल भविष्य की कल्पना करना निरर्थक है।

उद्देश्यः

1. बाल श्रम से सम्बन्धित संवैधानिक व कानूनी प्रावधानों का अध्ययन करना।
2. बाल श्रम को रोकने के लिए सम्भावित सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध–प्रविधिः

प्रस्तुत शोध पत्र विषय से सम्बन्धित तथ्यों के संकलन एवं विश्लेषण पर आधारित है तथा इससे सम्बन्धित तथ्यों का संकलन द्वितीय स्रोतों के रूप में विभिन्न पुस्तकों, पत्र– पत्रिकाओं का प्रयोग किया गया है। साथ ही शोध पत्र में मुख्यतः ऐतिहासिक, वर्णनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। भारत की जनगणना के आंकड़े का एवं द्वितीयक सूचना स्त्रोत का उपयोग बच्चे देश, राष्ट्र व समाज के निर्माता होते है इसके लिए आवश्यक हैं कि बच्चों की शिक्षा, लालन–पालन, शारीरिक, मानसिक विकास, समुचित सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाये। गरीब बच्चों का जीवन भी अत्यधिक शोषित है। छोटे–छोटे गरीब बच्चे स्कूल छोड़कर बाल श्रम हेतु मजबूर हैं। बाल श्रम का मतलब ऐसे कार्य से है जिसमे की कार्य करने वाला व्यक्ति कानून निर्धारित आयु सीमा से छोटा होता है। संविधानिक वचनबद्धता के अनुसरण में भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय बाल–नीति बच्चों के कल्याण के लिए संकल्प संख्या 17ध्74 सी.डी.डी. दिनांक 22 अगस्त,1974 को बनायी। इस राष्ट्रीय बाल नीति की प्रस्तावना में कहा गया कि ''बच्चे राष्ट्र की सर्वोच्च महत्वपूर्ण सम्पत्ति हैं। उनकी देखभाल और चिन्ता करना हमारी जिम्मेदारी हैं। मानव संसाधन विकास के लिए हमारी राष्ट्रीय योजनाओं में बच्चों के कार्यक्रमों को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए ताकि हमारे बच्चे पुष्ट नागरिक बनें और नैतिक रूप से स्वस्थ बने। एम.सी. मेहता बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु एआईआर 1997 एस. हंसारिया तथा न्यायमूर्ति एस. बी. मजूमदार ने निर्णय में यह विचार अभिव्यक्त किये थे कि हमारे संविधान निर्माताओं की परिकल्पना का भारत साहसी एवं पराक्रमी बालकों में परिलक्षित होता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) आंकलन है कि दुनिया भर में 16 करोड़ 80 लाख बच्चे बाल श्रम में शामिल हैं। इनमें 85 करोड़ बच्चे खतरनाक काम में लगे हैं।

संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 15(3)बालकों के लिए अलग से कानून बनाने का विशेष अधिकार प्रदान करता हैं। अनुच्छेद 21 प्रत्येक राज्य बच्चों के जीवन और स्वतंत्रता का रक्षा सुनिश्चित करेगा। संविधान के 86 वें संशोधन 2002 के माध्यम से बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता हैं। अनुच्छेद 23 बालकों के क्रय–विक्रय एवं उनके द्वारा गैर कानूनी तथा अनैतिक कार्य करने पर रोक लगाई गई है साथ ही बालकों को भय दिखाकर या बिना पारिश्रमिक के काम करना भी प्रतिबन्धित हैं। अनुच्छेद 24 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जायेगा या अन्य किसी परिसंकट नियोजन में नही लगाया जायेगा। अनुच्छेद 39 बच्चों के स्वास्थ्य और उनके शारीरिक विकास हेतु पर्याप्त सुविधाए उपलब्ध करने हेतु सरकार को निर्देश दिये गये हैं। अनुच्छेद 39(ई) बच्चों के बचपन की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देष दिए गये हैंकि उन्हें ऐसे कार्यो में न लगाया जाए जो उनकी उम्र व स्वास्थ्य के लिए घातक हों। अनुच्छेद 39(च) बचपन तथा जवानी का शोषण व नैतिक और आर्थिक परित्याग के विरूद्ध संरक्षित करता हैं। अनुच्छेद 45 14

वर्ष की आयु पूर्ण होने तक सभी बालकों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराता हैं। कानूनी प्रावधान भारतीय दण्ड संहिता धारा–82 7 वर्ष या इससे कम आयु के बच्चों को किसी भी अपराध में दण्डित करना वर्जित। दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा–125 सन्तान और साथ में बच्चे, चाहे वे वैध अथवा अवैध सन्तान हो भरण–पोषण के हकदार हैं।

कारखाना अधिनियम 1948

अधिनियम किसी भी कारखाने में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। अधिनियम की धारा 67 में कहा गया है कि किसी बालक को तब तक नियोजन में नहीं लिया जा सकता है जब तक कि उसने 14 वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो।

खान अधिनियम 1952

खान अधिनियम 1952 में वर्ष 1983 में हुये महत्वपूर्ण संशोधन में इस बात का प्रावधान किया गया है कि धारा 40 के तहत खान में 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक का नियोजन प्रतिबन्धित है इतना ही नहीं किसी व्यक्ति को यदि खान के कार्य में प्रशिक्षण लेना है तो ऐसे प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता की आयु भी 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए इसके साथ–साथ उसे एक उचित पर्यवेक्षण लेना आवश्यक हैं।

बाल श्रम (निवेश एवं विनियमय) अधिनियम 1986

कानून द्वारा खतरनाक व्यवसायों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबन्ध लगाता है। इस अधिनियम के दौरान जो प्रारम्भ से चली आ रही बच्चों के श्रमिक रूप मे होने वाले विभिन्न प्रकार के शोषण जैसे– आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण, यौन शोषण, भावात्मक शोषण आदि को निश्चित सीमा तक रोकने का व्यापक तौर पर प्रयास 2006 में और 2008 में विस्तार किया गया।

बच्चों के किशोर न्याय (देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000

इस कानून में किसी भी खतरनाक नियोजन में या बंधन में एक बच्चे की खरीद या रोजगार के लिये बच्चे को ले जाना अपराध है जिसके लिए जेल की सजा के साथ जुर्माना लिया जाता हैं।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015, किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के स्थान पर बनाया गया हैं। इस अधिनियम में 'किशोर' शब्द से जुड़े कई नकारात्मक संकेतार्थ को खत्म करने के लिए 'किशोर' शब्द की नामावली में परिवर्तन किया गया हैं।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

इसकी स्थापना 5 मार्च 2007 को हुई, इसकी स्थापना राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत बच्चों को दिए अधिकार जैसे समानता, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, बाल मजदूरी पर रोक आदि की निगरानी के लिए हुई हैं।

निष्कर्ष:

बाल श्रम एक प्रमुख सामाजिक, आर्थिक समस्या है जो बच्चों के शारीरिक–मानसिक क्षमता को प्रभावित करती है। बच्चों के हितों और संरक्षण का मामला भारत के संविधान में निहित है इसके बावजूद बच्चों के अधिकारों का घोर उल्लंघन हो रहा है। भारत का प्रत्येक चौथा बच्चा बालश्रम के चलते स्कूल नहीं जा पाता है। सरकार ने आठवीं तक की शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क कर दिया है। बच्चों के माता पिता सिर्फ इस वजह से उन्हे स्कूल नहीं भेजते क्योंकि उन्हे स्कूल जाने से परिवार की आमदनी कम हो जायेगी। बच्चे आज भी राजनैतिक, सामाजिक प्राथमिकता में नहीं है। सस्ते श्रमिक के तौर पर उनका इस्तेमाल हो रहा हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 80 लाख बच्चे काम कर रहे हैं, जबकि शहरों में 20 लाख के करीब है, 62.8 बाल मजदूर खतरनाक कार्यों में लगे हुए हैं। 59 बच्चे कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बच्चे सस्ता श्रम होते हैं तभी इन्हें ठेकेदार व दुकानदार अपने

व्यवसाय में रख लेते हैं। सरकार द्वारा बनाये गये बाल श्रमिक कानूनों के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य पर लगाना वर्जित है, और इसकी अवहेलना करने पर कार्यवाही की जाती है। बाल श्रमिक कानून का किसी भी व्यवसाय मालिकों द्वारा पालन नहीं किया जाता है। ठोस स्तर की राज्य व राष्ट्रीय नियमोंध्कानूनों के अभाव के चलते बालश्रम की समस्या बनी हुई है।

सुझावः

बाल श्रम के दलदल से बच्चों के बचपन को निकालना बड़ी चुनौती है। बाल श्रम को मिटाने के लिए सरकार के साथ–साथ वैयक्तिक पहल भी जरूरी है। बाल श्रम के संरक्षण के लिए जागरूकता जरूरी है। जनता के सहयोग के बिना कोई भी कानून बाल श्रम के कलंक से इस देश को मुक्ति नहीं दिला सकता। जब तक बच्चों का बचपन नहीं संवरेगा तब तक देश के उज्जवल भविष्य की कल्पना निरर्थक है। बाल श्रम के उन्मूलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सोच में बदलाव। जब तक सोच में परिवर्तन नहीं होगा तब तक इस समस्या का स्थाई समाधान निकल पाना संभव नहीं है। बाल श्रम की समाप्ति के लिए सरकारी प्रयासों के साथ–साथ सामाजिक संगठनों के समन्वित साथ की सख्त जरूरत है। भारतीय दंड विधान द्वारा जो कार्यवाही है उसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हमें किसी भी वर्ग के बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। बच्चों के उत्थान और उनके अधिकारों के लिए अनेक योजनाओं को प्रारम्भ किया जाना चाहिए जिससे बच्चों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सके। गरीबी को दूर करने वाले सभी व्यवहारिक सभी उपायों को उपयोग में लाया जाना चाहिए। एसे बच्चे जो बाल श्रम से बचाए गए हैं इनके लिए पुनर्वास प्रदान किया जाना जरूरी है, जिसमें समाजिक पुनर्वास, शैक्षिक सहायता और आर्थिक पुनर्वास शामिल होना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूचीः–

बाल श्रम (प्रतिशेध और विनियम) अधिनियम 1986। संपूर्ण अधिनियम देखें।
किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000। संपूर्ण अधिनियम देखें।
मानवाधिकार नई दिशांए (2008), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, वार्षिक अंक–5, 2008.
आहूजा राम, सामाजिक समस्याएं", रावत पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2012।
लक्ष्मीकान्त एम, भारत की राजव्यवस्था, नई दिल्ली। संपूर्ण पुस्तक।
सत्यार्थी कैलाश, "आजाद बचपन की ओर", प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली
बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015,
महिला और बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट।
सत्यार्थी कैलाश, भारत में बाल संरक्षण कानूनों का सारांश
कुलश्रेष्ठ जे.पी भारत में बाल श्रम 1978 पृ. 49

●